

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्व, जिला न्यायालय परिसर, कड़कड़डूमा, दिल्ली नीलामी सूचना

जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी-ब्लॉक भूतल (बी-ब्लॉक बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी दिनांक **06.07.2026** को दोपहर **03:00 बजे** बी-ब्लॉक भूतल पार्किंग में "जैसा है जहां है के आधार पर" की जाएगी नीलामी की जाने वाली वस्तुएं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:-

नीलामी के लिए अनुपयुक्त वस्तुओं की सूची और उनकी आधार कीमत

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	पी.ओ. हाई बैक रिवॉल्विंग चेयर	30	550/-	16,500/-
2	विजिटर चेयर	150	130/-	19,500/-
3	3 सीटर सोफा	05	550/-	2,750/-
4	2 सीटर सोफा	02	340/-	680/-
5	स्टेनो रिवॉल्विंग चेयर	80	400/-	32,000/-
6	क्लर्क टेबल	06	200/-	1,200/-
7	अधिकारी टेबल (लकड़ी)	01	500/-	500/-
8	कंप्यूटर टेबल	02	180/-	360/-
कुल आरक्षित मूल्य				73,490/-

उपरोक्त निष्प्रयोज्य वस्तुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित वस्तुओं/सामानों की नीलामी उनके वजन (नीलामी तिथि को ही तौलकर) के आधार पर की जाएगी। धातु की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य 70/- रुपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, लोहे की वस्तुओं का आरक्षित मूल्य 35/- रुपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, तथा लकड़ी के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य 5/-रुपये प्रति किलोग्राम गुणा उनका वजन, होगा।

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	स्टील बेंच	30	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टील बुक शेल्फ	02	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टील रैक	03	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टील डस्टबिन	02	लागू नहीं	लागू नहीं
5	डेजर्ट कूलर	02	लागू नहीं	लागू नहीं
6	लोहे की अलमारी	02	लागू नहीं	लागू नहीं

वर्तमान लागू कर (applicable tax) उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। निवेदक को रुपये 10,000/- (दस हजार) (लौटाए जाने योग्य) के साथ फोटो पहचान पत्र की एक प्रतिलिपि नीलामी वाले दिन दिनोंक 06.07.2026 (दोपहर एक बजे से पहले) अनुभाग प्रभारी, देख रेख शाखा, पूर्व में जमा कराने होंगे। नीलामी कार्य संपन्न होने के पश्चात् कुल नीलामी मूल्य की 25% नकद राशि सफल प्रतिभागी से ले ली जाएगी तथा सभी नीलामी वाली निष्प्रयोज्य वस्तुएं नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटा ली जानी चाहिये।

इच्छुक निवेदक/बोलीदाता निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को सायं 02:00 से 04:00 बजे के दौरान कर सकता है। अन्य जानकारी देखरेख अनुभाग से प्राप्त की जा सकते हैं। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानि www.delhidistrictcourt.nic.in पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

(सौमित्र कुमार)

06.06.2026
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली

नियम एवं शर्तें

1. जिला न्यायालय परिसर, कड़कड़डूमा, दिल्ली के बी-ब्लॉक भूतल बी-ब्लॉक बेसमेंट पार्किंग और ए-ब्लॉक में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी दिनांक 06.07.2026 को दोपहर 03:00 बजे बी ब्लॉक भूतल पार्किंग में" जैसा है जहां है के आधार पर की जाएगी।
2. सभी निष्प्रयोज्य वस्तुओं (उनके वजन के आधार पर नीलाम की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) का संशोधित मूल्य 73,490/- (रुपये तैहतर हजार चार सौ नब्बे रुपये मात्र) लागू कर, निर्धारित किया जाता है।
3. बोली लगाने वाले को बोली के दिन यानि दिनांक 06.07.2026 को दोपहर 01:00 बजे से पहले शाखा प्रभारी, देखरेख अनुभाग पूर्वी जिला के पास फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) (वापसी योग्य) नकद जमा करना होगा।
4. सफल बोलीदाता को जीएफआर-2017 के नियम 220 (IV) के अनुसार बोली स्वीकार करने पर बोली मूल्य का 25% नकद में जमा करना होगा।
5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा तीन दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश : पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। असफल होने पर 25% जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. सफल आवेदक द्वारा भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर अदालत परिसर से नीलाम हुई वस्तुएं हटानी पड़ेंगी।
7. सफल बोली दाता कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर से नीलाम हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए अपने स्वयं के श्रम और परिवहन की व्यवस्था करेगा और परिवहन का खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
8. परिषद का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द भी की जा सकती है।
9. परिषद नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।

(सौमित्र कुमार)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

12734-12738

संख्या...../कड़कड़डूमा न्यायालय/देखरेख अनुभाग (पूर्वी)/2026

दिनांक 06.06.2026

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. व्यक्तिगत सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
2. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी जिला न्यायालय परिसरों की कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ की नीलामी सूचना एवं नियमों और शर्तें अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सभी शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी, नई दिल्ली, उत्तरी-पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी-पश्चिमी और आर. ए. सी. सी., दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की संबंधित सूचना-पट्ट पर नीलामी सम्बन्धित सूचना चिपकाएं।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला कड़कड़डूमा न्यायालय को अनुरोध के साथ कि मायापुरी स्कूप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिये संबंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।
5. प्रभारी, देख-रेख शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु।

(सौमित्र कुमार)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्वी, शाहदरा और उत्तर-पूर्व)
जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली